TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRA ORDINARY PART 1 – SECTION I

F.No 15/11/2015-DGAD
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi
*****

Dated: 17th July, 2015

INITIATION NOTIFICATION (MID-TERM REVIEW)

Subject: Initiation of mid-term review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Metronidazole originating in or exported from China PR.

No. 15/11/2015-DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as "the AD Rules"), the Designated Authority notified its final findings on the 2nd Sun Set Review vide Notification No.15/18/2010--DGAD: dated 29.06.2012 recommending definitive antidumping duty on import of Metronidazole (hereinafter referred to as "the subject goods") originating in or exported from China PR.

2. And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 40/2012-Customs (ADD) dated 30.08.2012.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present case is Metronidazole, originating in or exported from China PR. The subject goods is an anti-diarrhea and anti-microbial drug. It is used in cases of Amoebiasis, Trichomoniasis; post-operative infection after surgery, giardiasis, acute ulcerative; and gingivitis, anaerobic, vaginosis treatment of infection caused by anaerobic micro formation. It is an organic chemical falling under heading No. 29332920 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification, however, is only indicative and in no way, is, binding on the scope of the present investigation.

Initiation

4. The Customs Tariff Act and the AD Rules require the Authority to review from time to time the need for the continuance of anti-dumping duties. M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. (the producer-cum-exporter), 428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian, Hubei, China PR, has filed an application for a change in its name in the relevant Customs Notifications from M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. to M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd. following a change in the name of the company. In the Final Findings as well as the relevant Customs Notifications of the earlier Sun Set Review Investigation, the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country has been imposed on the producer/exporter Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd,. In its MTR application, M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. ("the applicant") has stated that the change in the name has been effected without any change in the constitution of the company, address of the factory premises where the subject goods are produced etc. They have further claimed that in view of the same, all their exports will be in the name of M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd. and accordingly, duties applicable to the applicant, M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. may be made applicable to M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd.

5. In view of the above, the Designated Authority considers that the midterm review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, would be appropriate at this stage under the provisions of Rule 23 of AD Rules and Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995.

Countries Involved

6. The country involved in the present investigation is China PR.

Grounds for Review

7. In the earlier sunset review investigation, M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. was subjected to the separate anti-dumping duties as the producer-cum-exporter. The said producer-cum-exporter has filed an application for a change in its name in the relevant Customs Notifications from M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. to M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd. following a change in the name of the company. In the earlier Final Findings as well as the relevant Customs Notifications of the sunset review investigation, the anti-dumping duty on the imports of the subject goods,

originating in or exported from the subject country, has been imposed on the producer-cum-exporter M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd, China PR. In their MTR application, the said producer-cum-exporter has stated that the change in name of the company has taken place without any change in the constitution of the company, address of the factory premises where the subject goods are produced etc., and this fact is reflected in the relevant certificates appended with the MTR application. They further stated that the change in name of the Company to include the word "Technology" in its body was aimed to better reflect the licensed business activities of the Company and this change did not call for any change in the legal form, composition etc. of the Company. They have further claimed that in view of the same, all their exports will be in the name of M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd. and accordingly, duties applicable to M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. may be made applicable to M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd.

Procedure

8. Having regard to the information provided by the applicants indicating the changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers it appropriate to conduct a Mid Term Review of the Final Findings on 2nd Sun Set Review notified vide No.15/18/2010-DGAD dated 29.06.2012 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 40/2012-Customs(ADD) dated 30.08.2012, in terms of the provisions of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the AD Rules. The present review is only limited to the aspect of the name change as claimed by M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. with regard to the Final Findings on 2nd Sun Set Review notified vide No.15/18/2010-DGAD dated 29.06.2012 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 40/2012-Customs(ADD) dated 30.08.2012.

Period of Investigation

9. Since the present review investigation is restricted only to change in the name, the period of investigation is not relevant.

Submission of Information

10. The exporters in the subject country, their government through their Embassy/ Representative, the domestic industry, the importers and users in India known to be

concerned and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD)
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of initiation of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

Inspection of Public File

12. In terms of Rules 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

(J. K. Dadoo)
Designated Authority

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाइल संख्या 15/11/2015-डीजीएडी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 17 जुलाई, 2015

जांच शुरूआत अधिसूचना (मध्यावधि समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मीट्रोनाइडाजोल के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत।

संख्या 15/11/2015-डीजीएडी- यतः, वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क अथवा अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मीट्रोनाइडाजोल (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 29.06.2012 की अधिसूचना संख्या 15/18/2010-डीजीएडी के तहत द्वितीय निर्णायक समीक्षा पर अपना अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किया था।

2. और यतः, इस संबद्ध वस्तु पर दिनांक 30.08.2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मीट्रोनाइडाजोल है। संबद्ध वस्तु एक डायरिया प्रतिरोधक एवं एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। इसका प्रयोग अमीबायसिस, ट्राइकोमोनियासिस, शल्य-चिकित्सा के उपरांत होने वाले संक्रमण, गायार्डियासिस, तीव्र अल्सरेटिव और जिन्जिवायटिस, एनैरोबिक, एनैरोबिक माइक्रो फार्मेशन द्वारा कारित संक्रमण का वायोग्नासिस उपचार करने के लिए किया जाता है। यह एक कार्बनिक रसायन है जो आईटीसीएचएस वर्गीकरण तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले शीर्षक संख्या 29332920 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

4. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करें। मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक-सह-निर्यातक) 428 यिशुई नार्थ रोड, फेंग्शान, लुओशियन, हुबेई, चीन जन.गण. ने संगत सीमाशुल्क अधिसूचना में अपना नाम मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटैड से बदल कर मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड करने के लिए एक आवेदनपत्र दायर किया है। पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के साथ-साथ संगत सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर इस उत्पादक/निर्यातक हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है। अपने मध्यावधि समीक्षा आवेदनपत्र में मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ("आवेदक") ने यह उल्लेख किया है कि कंपनी के नाम में यह परिवर्तन कंपनी के संविधान, कारखाना परिसर, जहां इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जाता है, के पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसके मद्देनजर उनके सभी निर्यात मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड के नाम पर किए जाएंगे और तदनुसार आवेदक मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड पर लागू सभी शुल्क मैसर्स होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड पर अनुप्रयोज्य बनाए जाएं।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट यह मानते हैं कि इस स्तर पर चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और सीमाशुल्क प्रशुल्क

(संशोधन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अंतर्गत मध्यावधि समीक्षा करना उपयुक्त होगा।

अंतर्ग्रस्त देश

6. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण. है।

समीक्षा के लिए आधार

7. इससे पहले की गई निर्णायक समीक्षा जांच में मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड पर उत्पादक-सह-निर्यातक के रूप में पृथक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। उक्त उत्पादक-सह-निर्यातक ने संगत सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में अपना नाम मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटैड से बदल कर मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड करने के लिए एक आवेदनपत्र दायर किया है। पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के साथ-साथ संगत सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर इस उत्पादक/निर्यातक हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है। अपने मध्यावधि समीक्षा आवेदनपत्र में मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड ("आवेदक") ने यह उल्लेख किया है कि कंपनी के नाम में यह परिवर्तन कंपनी के संविधान, कारखाना परिसर, जहां इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जाता है, के पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना किया गया है और यह तथ्य एमटीआर आवेदनपत्र के साथ परिशिष्ट के रूप में लगाए गए प्रमाणपत्रों में स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसके निकाय में "टेक्नालोजी" शब्द शामिल करने के लिए कंपनी के नाम में परिवर्तन किए जाने का उद्देश्य इस कंपनी की लाइसेंस्ड बिजनेस गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रतिक्षिप्तित करना था और इस परिवर्तन से कंपनी के विधिक स्वरूप, संघटन आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसके मद्देनजर उनके सभी निर्यात मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड के नाम पर किए जाएंगे और तदनुसार आवेदक मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड पर लागू सभी शुल्क मैसर्स होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नालोजी कंपनी लिमिटेड पर अनुप्रयोज्य बनाए जाएं।

प्रक्रिया

8. आवेदक द्वारा प्रभावी शुल्क की समीक्षा करने के लिए परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए प्रदान कराई गई सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट

प्राधिकारी दिनांक 29.06.2012 की द्वितीय निर्णायक समीक्षा की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/18/2010-डीजीएडी और दिनांक 30.08.2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के प्रावधानों के अनुरूप मध्यावधि समीक्षा करना उपयुक्त मानते हैं। वर्तमान समीक्षा दिनांक 29.06.2012 की द्वितीय निर्णायक समीक्षा की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/18/2010-डीजीएडी और दिनांक 30.08.2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित निर्णायक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मैसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा यथा दावाकृत केवल नाम परिवर्तन के पहलू तक सीमित है।

जांच की अवधि

9. चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच नाम में केवल परिवर्तन तक ही सीमित है इसलिए इसके लिए जांच की अवधि प्रासंगिक नहीं है।

सूचना प्रस्तुत करना

10. सम्बद्ध देश के निर्यातकों तथा उनकी सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों/प्रतिनिधियों के जरिए घरेलू उद्योग भारत में इस संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर इस जांच से संगत प्रस्तुतिकरण विहित स्वरूप और ढंग से कर सकता है।

समय-सीमा

11. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के लिए किया गया कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कोई सूचना

प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच-परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

12. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच बनाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे के दादू
17/7/15

(जे. के. दादू)
निर्दिष्ट प्राधिकारी